# फर्द अहकाम

प्रकरण सं0 17/2017

केशीलाल ............ बनाम श्री शंकर ............

| ब हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए |
|---|---|---|
| | 24/12/24 पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त/ अवकाश में है, इसलिये साबिक आदेश में दिनांक 26/12/24 को पेश हो। <br> आदेश से रीडर | |
| | 26/12/24 पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त/ अवकाश में है, इसलिये साबिक आदेश में दिनांक 28/1/25 को पेश हो। <br> आदेश से रीडर | |
| | पत्रावली पेश हुई। वकील वादी/प्रार्थी अनुपस्थित। वादी/प्रार्थी भी अनुपस्थित। प्रकरण में वकील वादी/प्रार्थी को निर्धारित समय से रुक रुक कर तीन बार आवाज लगवाई लेकिन उनकी ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। वकील वादी/प्रार्थी पूर्व में भी अनुपस्थित रहा। वकील वादी व वादी के अनुपस्थित रहने से प्रकरण को अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में प्रकरण को अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किये जाने के आदेश पारित किये जाते हैं। <br> अतः पत्रावली फैसलशुदा शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम कि जाकर दाखिल दफ्तर हों। <br> उपखण्ड अधिकारी [illegible] (राज.) | |